भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2694

09.03.2026 को उत्तर के लिए

तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं

2694. श्री बस्तीपति नागराजू :
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं (सीजेडएमपी) तैयार कर केन्द्र सरकार को सौंप दी हैं;

(ख) अनुमोदित और लंबित सीजेडएमपी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस विलंब का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीजेडएमपी की तैयारी और अनुमोदन में तेजी लाने के लिए कोई दिशानिर्देश या निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2019 के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएँ (सीजेडएमपी) ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल राज्यों के साथ-साथ गुजरात के आठ तटीय जिलों (वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, जामनगर और गिर सोमनाथ) के लिए अनुमोदित की गई हैं।

द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना 2019 के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नौ द्वीपों (ग्रेट निकोबार द्वीप, लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, बारातांग, स्वराज द्वीप, रटलैंड, कार निकोबार और कमोर्ता) के लिए एकीकृत तटीय विनियमन क्षेत्र योजना (आईसीआरजेडपी) और पांच द्वीपों (स्मिथ द्वीप, लॉन्ग द्वीप, फ्लैट बे, शहीद द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप) के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (आईआईएमपी) को भी मंजूरी दे दी गई है।

इसके अलावा, लक्षद्वीप के तेईस द्वीपों [बंगाराम, तिन्नक्करा और बराली II और III, बितरा, चेतलाट, किल्टन, कदमत, सुहेली, मिनिकॉय, विरिंगिली, वलियाकारा, अगाती और कल्पित्ति, अमिनी, एंड्रोथ, कल्पेनी, चेरियाम, पिट्टी, कोडिथला, तिलकम (पूर्व और पश्चिम), और कवरत्ती] के लिए आईआईएमपी को मंजूरी दे दी गई है।

शेष तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत सीजेडएमपी के अद्यतन की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	**तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सीज़ेडएमपी/ आईसीआरज़ेडपी/ आईआईएमपी की स्थिति**
1.	अंडमान और निकोबार (यूटी)	32 द्वीपों में से, आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 के तहत तैयार किए गए 14 द्वीपों के लिए आईसीआरजेडपी/आईआईएमपी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। शेष 18 द्वीपों (जिनमें चार आईसीआरजेडपी और चौदह आईआईएमपी शामिल हैं) के संबंध में, नौ द्वीपों के लिए सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है; छह द्वीपों के प्रस्ताव वर्तमान में तकनीकी जांच समिति (टीएससी) द्वारा विचाराधीन हैं; दो द्वीपों के लिए मानचित्रों का मसौदा तैयार किया जा रहा है; और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी संख्या 25446/2019 के मद्देनजर एव्स द्वीप के आईआईएमपी के मसौदे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
2.	गुजरात	गुजरात के आठ तटीय जिलों वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, पोरबंदर, जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, जामनगर और गिर सोमनाथ की तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। तकनीकी जांच समिति (टीएससी) की सिफारिश के बाद छह तटीय जिलों - मोरबी, अमरेली, भावनगर, भरूच, नवसारी और वलसाड - के मसौदा सीजेडएमपी को राज्य सरकार को भेजा गया था। शेष दो जिलों, कच्छ और सूरत के सीजेडएमपी वर्तमान में टीएससी द्वारा सुझाए गए संशोधन के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास हैं।
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश के 13 तटीय जिलों में से 12 जिलों के लिए सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है, और इन 12 जिलों के मसौदा सीजेडएमपी तकनीकी जांच समिति (टीएससी) की सिफारिशों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए वर्तमान में राज्य सरकार के पास हैं। विशाखापत्तनम जिले के मसौदा सीजेडएमपी के लिए

		सार्वजनिक सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है।
4.	दमन और दीव	दमन और दीव के दो तटीय जिलों के लिए सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो चुकी है, और तकनीकी जांच समिति (टीएससी) की सिफारिशों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए वर्तमान में सीजेडएमपी के मसौदे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास हैं।
5.	गोवा	सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार, गोवा राज्य सरकार द्वारा सीआरजेड का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
6.	पुडुचेरी (यूटी)	माहे और यनम के लिए मसौदा सीजेडएमपी पर सार्वजनिक परामर्श सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। पुडुचेरी सरकार पुडुचेरी और कराईकल के मसौदा सीजेडएमपी पर आगे विचार-विमर्श के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की प्रक्रिया में है।
7.	तमिलनाडु	तमिलनाडु में, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) द्वारा तैयार किया गया सीजेडएमपी का मसौदा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के पास लंबित है।
8.	पश्चिम बंगाल	तकनीकी जांच समिति (टीएससी) की सिफारिश के बाद तीनों तटीय जिलों के लिए मसौदा सीजेडएमपी राज्य सरकार को भेज दिए गए थे।

(ग) एवं (घ): मंत्रालय ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) के अद्यतीत किए जाने में तेजी लाने के लिए निरंतर और बार-बार प्रयास किए हैं, जो कि सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत तैयार की गई हैं, ताकि उन्हें सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। प्रारंभ में, दिनांक 26/06/2019 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अद्यतन प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया और समयसीमा स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी। इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (प्रधान पीठ) के ओ.ए. संख्या 249/2023 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अंतर्गत सीजेडएमपी अद्यतन की स्थिति का आकलन करने के लिए दिनांक 16/02/2024 को मंत्रालय में तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, और सीजेडएमपी को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने अपनी 45वीं (01/09/2022), 46वीं (01/09/2023), 47वीं (23/10/2024) और 48वीं (26/09/2025) बैठकों में इस मामले पर बार-बार विचार-विमर्श किया है। इन बैठकों के दौरान, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को मामले की तात्कालिकता के प्रति जागरूक किया गया और कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

*****